पीत–पत्र के बदले

न0 वि0 आ0–115/2023/7/18

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।

विभागीय कार्यालय आदेश सं0–3724 दिनांक–17.07.2018 के आलोक में दिनांक–18.07.2018 से 19.07.2018 को नगर परिषद, अररिया एवं नगर निगम, पूर्णियाँ के क्षेत्रों के कार्यों का समीक्षा किया गया है।

तदनुसार समीक्षा प्रतिवेदन संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु0:– यथोक्त।

(अशोक कुमार)
अधीक्षण अभियंता
नगर विकास एवं आवास विभाग

दिनांक–18.07.2018 को नगर परिषद, अररिया एवं नगर निगम पूर्णियाँ का क्षेत्र भ्रमण के दौरान किये गये निरीक्षण का प्रतिवेदनः–

दिनांक–18.07.2018 को नगर परिषद, अररिया का निरीक्षण अध्यक्ष अररिया नगर परिषद की उपस्थित में समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित बिन्दु सामने आयेः–

(1) **हर घर नल–जल निश्चय योजनाः–** हर घर नल–जल निश्चय योजना अन्तर्गत 13 वार्डों का कार्य नगर परिषद, अररिया के द्वारा किया जाना है एवं शेष 16 वार्डों में बी0आर0जे0पी0 के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी प्रगति काफी धीमी है। जिसमें तेजी लाने हेतु मुख्यालय स्तर से भी आदेश देने की आवश्यकता है। शेष 13 वार्ड जो नगर परिषद द्वारा कराये जाने है, तीन चार बार निविदा कराए जाने के पश्चात भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में अध्यक्ष एवं सीटी मैनेजर को निदेश दिया गया कि अविलम्ब संवेदकों के साथ बैठकर निविदा नहीं पड़ने के कारणों की समीक्षा करें, तदनुसार जो नियमानुसार परिवर्तन की आवश्यकता है उसे कार्यहित में किया जाय।

(2) **गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजनाः–** गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना में वर्ष 2017–18 के कार्य लगभग पूर्णकर लिए गये है एवं वर्ष 2018–19 में चयनित योजना को अविलम्ब प्राक्कलन तैयार कर निविदा करने का निदेश दिया गया।

(3) **सम्राट अशोक भवन का स्थल निरीक्षण किया गया** भवन की संरचना पूर्ण है। फिनिशिंग कार्य प्रगति में है। संबंधित अभियंता को दो महीने के अन्दर कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(4) **प्रशासनिक भवनः–** प्रशासनिक भवन हेतु पूर्व से जमीन उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष नगर परिषद द्वारा बताया गया कि मैं जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर प्रशासनिक भवन हेतु जमीन उपलब्ध कराउँगा।

(5) **राज्य योजनाः–** राज्य योजनान्तर्गत लिये गये योजनाओं की समीक्षा की गयी, जिसमें दो योजनाएँ चाँदनी चौक से पनार नदी प्राक्कलित राशि–125.353 लाख एवं चांदसी चौक से पनार नदी भाया बाबाजी कुटिया प्राक्कलित राशि–149.92 लाख दोनों योजनाओं का अविलंब निविदा प्रकाशित कर कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया गया। राज्य योजनान्तर्गत चाँदनी चौक से काशी घाट प्राक्कलित राशि 180.904 लाख है। जिसका कार्य 90% पूर्ण है, केवल नाला के अन्त में कार्य अपूर्ण है, जिसे अविलम्ब पूरा करने का निदेश दिया गया।

दिनांक–19.07.2018 को नगर निगम, पूर्णियाँ का नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ के साथ समीक्षा की गई है, जिस दरम्यान निम्नलिखित बिन्दु सामने आयेः–

(1) **कच्ची गली–नली योजनाः–** वर्ष 2017–18 को लगभग एक दो योजना छोड़कर पूर्ण प्रतिवेदित किया गया है। वर्ष 2018–19 के सभी 63 योजना विभिन्न कारणों

से निविदा निष्पादित नहीं हो पा रहे हैं। इन निविदाओं पर बहुत सारे परिवाद प्राप्त हुए है, जिसे मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की जा रही है एवं नगर निगम के स्तर पर भी सभी योजनाओं का निविदा निस्तार वाद के कारण नहीं किया जा सका है।

(2) **नल–जल योजनाः–** इस योजनान्तर्गत दो ग्रुप में बी0आर0जे0पी0 के द्वारा निविदा कर एकरारनामा की कार्रवाई की गई है। एक ग्रुप में कार्य शुरू हुआ है लेकिन प्रगति काफी धीमी है। बी0आर0जे0पी0 के कनीय अभियंता जो उपलब्ध थे, उन्हें अविलंब कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। इस कार्य के प्रगति हेतु मुख्यालय से भी निदेश देने की आवश्यक है।

(3) **सम्राट अशोक भवनः–** इसके निर्माण हेतु निविदा निकालने की प्रक्रिया में है। निविदा प्रकाशित करने हेतु मेयर का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण निविदा प्रकाशित नहीं की गई है। इस संबंध में भी मुख्यालय स्तर से बिहार नगरपालिका अधिनियम के आलोक में नगर आयुक्त, पूर्णियाँ को निदेश दिया जा सकता है।

(4) **Map approval:–** पूर्णियाँ नगर निगम के द्वारा पिछले साल लगभग 1000 नक्शों की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं समीक्षा के दरम्यान पता चला कि लगभग औसतन 60–70 नक्शा प्रति महीना स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है। नक्शा की स्वीकृति एक कनीय अभियंता एवं एक सहायक की मदद से की जा रही है। नक्शा की स्वीकृति के पूर्व सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता से भी जाँच कराना उचित होगा एवं पूर्व में स्वीकृत किये गये नक्शों में से कुछ Random नक्शा की जाँच Town Planning Section से करायी जा सकती है।

(5) **निविदा का निष्पादनः–** निविदा के निष्पादन के संबंध में समीक्षा के दरम्यान यह जानकारी मिली कि निविदा के निष्पादन में

(क) शपथ–पत्र मूल में जमा न होना

(ख) यंत्र–संयत्र का Bill न होना

(ग) अभियंता का प्रमाण–पत्र का शपथ–पत्र न होना आदि के कारण अमान्य हो रहे है और छोटे–छोटे राशि के निविदा का निष्पादन करना संभव नहीं हो पा रहा है एवं पुनर्निविदा निकालना पड़ रहा है। कार्यहित में एकल बिड वाली निविदा के निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त्तों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।